न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

जयगोपाल बनाम नटवरलाल वगैरह

किस्म मुकदमा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 320/2025 (किशनगढ)

आशीष जैन

14.1.26	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है। पत्रावली वास्ते इन्तजार नोटिस रेस्पो. सं. 1 से 3 दिनांक 4/2/26 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
4/2/26	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उप. रेस्पो. सं. 1 से 3 को जारी नोटिस लौटकर नहीं आये है, इन्तजार नोटिस रेस्पो. नोटिस रखे जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार नोटिस रेस्पो. सं. 1 से 3 दिनांक 05/3/26 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
05/3/26	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित । मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 21/4/26 को पेश हो । राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
21/4/26	पत्रावली पेश की गई / राजस्व बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/5/26 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
27/5/26	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं। अभिभाषक अपीलांट को कई बार रुक रुक कर अवाजे दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट्स अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान, राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 320 सन् 2025 जिला अजमेर

1. जयगोपाल पुत्र महन्त जयकृष्णदास
2. हृदयांशु पुत्र मोहनश्याम शर्मा
3. नाबालिग जपीश पुत्र हरिकृष्ण जरिये संरक्षक पिता हरिकृष्ण समस्त जाति ब्राहमण निवासी काचरिया हाल निवासी काचरिया पीठ पुराना शहर किशनगढ जिला अजमेर।

...........अपीलाण्टस

बनाम

1. नटवरलाल पुत्र बालकृष्ण जाति ब्राहमण
2. आशाजी पुत्र बालकृष्ण जाति ब्राहमण
समस्त निवासी काचरिया हाल निवासी काचरिया पीठ पुराना शहर किशनगढ जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय किशनगढ जिला अजमेर।

..........रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर महोदय किशनगढ जिला अजमेर दिनांक 4.6.2025 वाद संख्या 206/2021 उनवानी जयगोपाल बनाम नटवपरलाल मे पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलाण्टस की ओर से निम्न निवेदन हैः–

अ– यह कि इस अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्टस के विरूद्व विद्वान सहायक कलक्टर किशनगढ के न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काचरिया स्थित आराजी खसरा नं0 132 रकबा 0.0405 हैक्टर, 361/7.1516 हैक्टर, 139 रकबा 0.0485 हैक्टर, 154

Scanned with CamScanner